

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी-अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 110/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोंडेंट
1. भंवरसिंह पुत्र उदयसिंह		1. चैनसिंह पुत्र सुजाणसिंह
2. अणच कंवर पत्नी सुजाणसिंह		2. नकुंकवर पुत्री उदयसिंह
3. हेमसिंह पुत्र सुजाणसिंह		3. नारायणसिंह पुत्र सुजाणसिंह
4. सुमेरसिंह पुत्र सुजाणसिंह		4. पुंजराजसिंह पुत्र सुजाणसिंह
5. देवीसिंह पुत्र इन्द्रसिंह		5. भेरसिंह पुत्र सुजाणसिंह
6. गुमानसिंह पुत्र इन्द्रसिंह		6. भागुकंवर पुत्री उदयसिंह
7. महेन्द्रसिंह पुत्र इन्द्रसिंह		7. खीवसिंह पुत्र अमरसिंह
8. समदकंवर पत्नी इन्द्रसिंह		8. रघुनाथ सिंह पुत्र दीपसिंह
		9. अचलसिंह पुत्र जगमालसिंह
		10. कुम्भसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
		11. करणसिंह पुत्र जगमालसिंह
		12. गिरधारीसिंह पुत्र जगमालसिंह
		13. जसुकंवर पुत्री भगवानसिंह उर्फ सरदारसिंह
		14. जसवंतसिंह पुत्र भगवानसिंह उर्फ सरदारसिंह
		15. तेजसिंह पुत्र गोविंदसिंह
		16. निजरकंवर पत्नी गोविन्दसिंह
		17. पेंपकंवर पत्नी जगमालसिंह
		18. बिरमसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
		19. भीखसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
		20. भोमसिंह पुत्र भगवानसिंह उर्फ सरदारसिंह
		21. समुकंवर पुत्री भगवानसिंह (सभी जाति राजपूत, निवासी ग्राम रामसागर, तहसील देचू, जिला फलौदी)
		22. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार देचू, जिला फलौदी
		23. पटवारी, पटवार मण्डल, रावतनगर, तहसील देचू, जिला फलौदी
		24. भू-अभिलेख निरीक्षक, पीलवा, तह० देचू, जिला फलौदी

(सभी जातियान राजपूत, निवासी ग्राम रामसागर, तहसील देचू, जिला फलौदी)



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956, विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी लोहावट (जोधपुर) आदेश क्रमांक: प्र.ग.स./2021/1059 दिनांक 20.12.21

उपस्थिति -

1. श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी, वकील अपीलांट्स
2. श्री हिमपालसिंह राठौड़, वकील रेस्पोंडेंट सं० 1, 3, से 5, 7 से 9, 11, 14 से 16, 19 व 20

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता राज्य पक्ष की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से हैं कि उपखण्ड अधिकारी लोहावट के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.12.2021 के द्वारा तहसीलदार देचू के पत्र क्रमांक 2053 दिनांक 16.12.21 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम रामसागर के उल्लेखित खसरान की भूमि में से रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित रकबा भूमि की किस्म गै०मु० रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटव) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व हितबद्ध खातेदारान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही उनकी सहमति ली गई। जहां पर कदीमी रास्ते/पगडंडी/कोई रास्ता नहीं है, वहां पर रास्ते का रेकर्ड में अंकन व नक्शों में तरमीम कर दी गई है। अपीलाधीन आदेश में उल्लेखित खसरा नं० 2535, 2539/1 व 2537/1 के राजस्व रेकर्ड में जरिये ना०क० गै०मु० रास्ता दर्ज कर दिया गया है, जिनके वर्तमान खसरा नं० क्रमशः 2663/2535, 2568/2539, 2666/2537 है। मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं है, अपीलाधीन आदेश गलत एवं बेबुनियाद है। उक्त आदेश बिना किसी आधार के पारित कर दिया गया, जिससे खातेदारों की समस्या एवं आपसी विवाद बढ़ गया है। वस्तुतः जिन जगहों पर कदिमी रास्ते पीढियों से चल रहे हैं वहां पर गै०मु० रास्ता दर्ज नहीं करके उससे भिन्न स्थान पर रास्ता दर्ज कर दिया गया है। मौका फर्द दिनांक 1.12.21 पर भी किसी राजस्व कार्मिक अथवा अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार उक्त समस्त कार्यवाही विधि विरुद्ध की गई है, जिसमें अपीलांट्स को बिना पक्षकार बनाये उसकी खातेदारी भूमि में रास्ते की भूमि दर्ज कर दी गई है। अतः अपीलाधीन आदेश


अतिरिक्त सहायक आयुक्त
जोधपुर



निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई एवं राजस्व रेकॉर्ड व मौका रिपोर्ट अनुसार पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

रेस्पोंडेंट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि उक्त आदेश तहसीलदार देचू द्वारा आरएलआर एक्ट 1956 की धारा 131, 132 व 136 के तहत ग्राम रामसागर में मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म रास्ता घोषित कर, नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में उपखण्ड अधिकारी लोहावट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें ग्राम रामसागर के खसरा नं० 2535, 2539/1 व 2537/1 में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा की गई। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर रास्ता घोषित कर दिया गया है तथा उक्त आदेश की पालना राजस्व रेकॉर्ड में कर दी गई। अतः उक्त अपील मियाद बाहर व सारहीन होने से खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।


राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रकरण में तहसीलदार देचू द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान ग्राम रामसागर के उल्लेखित खसरान में से मौके पर अवस्थित/प्रचलित रास्ते का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करने हेतु प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसका सत्यापन मौका फर्द दिनांक 1.12.21 के अनुसार सरपंच ग्रा०पं० रावतनगर द्वारा मौके पर उपस्थित मौतबिरानों के समक्ष किया गया है, तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकॉर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार देचू से प्राप्त प्रस्ताव कर की गई है व प्रस्ताव के संलग्न मौका फर्द दिनांक 01.12.2021 में मौके पर किसी राजस्व कार्मिक का सत्यापन कर्ता के रूप में उल्लेख नहीं है और न ही इसमें प्रस्तावित खसरा नम्बरान का उल्लेख है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया व उक्त आदेश की राजस्व रेकॉर्ड में पालना कर दी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक: 1059-63 दिनांक


अतिरिक्त सहायक आयुक्त
जोधपुर

20.12.21 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी देचू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट्स एवं सभी संबंधित खातेदारों/पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 05 अगस्त, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर
05.08.24